गृह मंत्रालय- मई, 2018 में प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और कार्यक्रम

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने श्री कुमानम राजशेखरन और श्री गणेशी लाल को क्रमश: मिजोरम और ओडिशा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है।

2. बाढ़/भू-स्खलन, चक्रवात ओखी एवं सूखा (खरीफ), 2017 के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान राज्यों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के बारे में माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2018 को उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक आयोजित की गई।

3. झारखण्ड में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तथा वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2018 को रांची में एक बैठक आयोजित की गई।

4. एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तथा वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में राज्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे में केन्द्रीय गृह सचिव उनके साथ गए।

5. गृह मंत्री ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नव-गठित 'बस्तारिया बटालियन' के पासिंग आउट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिनांक 21.05.2018 को अम्बिकापुर जिला, छत्तीसगढ़ का दौरा किया।

6. केन्द्रीय गृह सचिव ने बाढ़/भू-स्खलन-2017 के लिए आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश एवं नागालैंड राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14.05.2018 को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति की बैठक आयोजित की।

7. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों/सचिवों का वार्षिक सम्मेलन, 2018 दिनांक 18.05.2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

8. सुरक्षा, वीजा और भारत-विरोधी गतिविधियों जैसे विषयों को कवर करते हुए पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए इंडिया-यू.के. होम अफेयर्स

डायलॉग की तीसरी बैठक 30 मई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यूके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री पेट्सी विल्क्रिनसन, सेकेंड परमानेन्ट सेक्रेटरी, यूके होम ऑफिस द्वारा तथा भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा किया गया।

9. भत्ते बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 तथा उप-राज्यपाल पेंशन, आवास एवं अन्य सुविधा नियम, 1999 में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू व्यय की अधिकतम सीमा भी बढ़ाई गई है तथा तदनुसार राज्यपाल (भत्ता एवं विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-I, II एवं III को प्रतिस्थापित किया गया है।

10. चंदौली जिला, उत्तर प्रदेश में "मुगल सराय जंक्शन" रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर "पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन" तथा बाडमेर जिला, राजस्थान में "मियां का बाड़ा" गांव का नाम बदलकर "महेश नगर" किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

11. पुलिस जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक शुरू किया गया है और इस संबंध में दिनांक 19.05.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है।

12. पूरे देश में 15547 पुलिस थानों में सीसीटीएनएस साफ्टवेयर लगाए गए हैं अर्थात कुल 15610 पुलिस थानों में से 99.6% पुलिस थानों को कवर किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य नागरिक केन्द्रिक पोर्टल शुरू किए हैं।

13. केन्द्रीय गृह सचिव ने वामपंथी उग्रवाद काडरों के लिए निधियों की उपलब्धता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं बिहार के पुलिस महानिदेशकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस कार्मिकों, निदेशक (आईबी), महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय तथा महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ दिनांक 31.05.2018 को बैठक आयोजित की।

14. केन्द्रीय गृह सचिव ने 4072 मोबाइल टावर लगाने के लिए मोबाइल टावर्स चरण-II के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्यों को लिखे।

15. इस माह के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 76.86 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अब तक सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत कुल 99.14 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं।

16. सुरक्षा इंतजाम, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी, अमरनाथ यात्रा-2018, शब-ए-बारात तथा कई अन्य त्योहारों के लिए जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल **249** कंपनियां तैनात की गईं।

17. भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र, केरल जैसे विभिन्न राज्यों में उप-निर्वाचन के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य सशस्त्र पुलिस की **169** कंपनियों तथा कर्नाटक में विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य सशस्त्र पुलिस की **610** कंपनियां तैनात की गईं।

18. दिनांक 14.5.2018 को गृह मंत्रालय में आयोजित बैठक में प्रेस को बंद किए जाने/उनके विलयन/समामेलन के विषय पर संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा की गई।

19. इस माह के दौरान, माननीय राष्ट्रपति ने राज्य सरकार के 7 विधेयकों अर्थात् मध्य प्रदेश भूमिस्वामी एव बटाईकार के हितों का संरक्षण विधेयक, 2016, उत्तर प्रदेश दूकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017, कर्मचारी मुआवजा (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017, भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को सहमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, बंगाल, आगरा, एवं असम सिविल न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रख्यापन के लिए राष्ट्रपति के अनुदेश भी संसूचित किए गए हैं।

****